अधिसूचना सं0 7/2014-सेवा कर नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014.

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 95 की उपधारा (3) और वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 140 की उपधारा (3) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2013-सेवा कर, तारीख 1 जुलाई, 2013 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 448 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पैरा 3, उप पैरा (II) में,-

(क) खंड (ख) में, "प्ररुप क - 2 में" शब्दों, अक्षर, चिह्नन और अंक के पश्चात् "प्ररूप क-1 प्रस्तुत करने की तारीख से 15 कार्यदिवस के भीतर" अंक और शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(खक) खंड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकार विशेष आर्थिक जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्ररुप क- 1 के सत्यापन की तारीख से विधिमान्य होगा :

परंतु विशेष आर्थिक जोन इकाई या विकासकर्ता द्वारा अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति, सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क या उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को विशेष आर्थिक जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उसके सत्यापन के 15 दिन के भीतर प्ररुप क-1 प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्राधिकार उस तारीख से विधिमान्य होगा जिसको वह प्रस्तुत किया जाता है;";

(ग) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) विशेष आर्थिक जोन इकाई या विकासकर्ता उक्त प्राधिकार की प्रति विनिर्दिष्ट सेवाओं के प्रदाता को, जहां ऐसा प्रदाता सेवाकर का संदाय करने के लिए दायी है,

उपलब्ध कराएगा और उक्त प्राधिकार के आधार पर सेवा प्रदाता विशेष आर्थिक जोन इकाई या विकासकर्ता को सेवाकर का संदाय किए बिना विनिर्दिष्ट सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा :

परंतु उक्त प्राधिकार के जारी किए जाने तक, विनिर्दिष्ट सेवाओं का प्रदाता प्ररुप-क1 के आधार पर ऐसी विनिर्दिष्ट सेवा सेवाकर के संदाय के बिना उपलब्ध करा सकेगा और विशेष आर्थिक जोन इकाई या विकासकर्ता प्राधिकार की एक प्रति सेवा प्रदाता को ऐसे प्राधिकार की प्राप्ति पर तुरंत उपलब्ध कराएगा :

परंतु यह और कि यदि विशेष आर्थिक जोन इकाई या विकासकर्ता उक्त प्राधिकार की प्रति उस तारीख से, जिसको कराधान बिन्दु नियम, 2011 के निबंधनानुसार ऐसी विनिर्दिष्ट सेवाएं प्रदान की गई समझी गई थी, तीन मास की अवधि के भीतर उपलब्ध नहीं करता है तो सेवा प्रदाता प्रथम परंतुक के निबंधनानुसार इस प्रकार प्रदान की गई विनिर्दिष्ट सेवाओं पर सेवा कर का संदाय करेगा ।" ;

(घ) खंड (ङ) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए किसी सेवा को अनन्य रूप से विशेष आर्थिक जोन प्रचालनों के लिए उपयोग किया गया माना जाएगा यदि सेवा विशेष आर्थिक जोन इकाई या विकासकर्ता द्वारा किसी बीजक के अधीन ऐसी इकाई या विकासकर्ता के नाम से प्राप्त की जाती है और सेवा का उपयोग केवल विशेष आर्थिक जोन के प्राधिकृत प्रचालनों को अग्रसर करने के लिए किया जाता है ।";

(ii) प्ररुप क-1 में, सारणी-II के, स्तंभ (4) के उपशीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"सेवा कर रजिस्ट्रीकरण सं. (लागू नहीं होगी यदि विनिर्दिष्ट सेवा पूर्ण उत्क्रमण प्रभार के अधीन है)";

(iii) प्ररुप क-2 में,-
(क) मद ख की सारणी में स्तंभ (4) के उपशीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

" सेवा कर रजिस्ट्रीकरण सं. (लागू नहीं होगी यदि विनिर्दिष्ट सेवा पूर्ण उत्क्रमण प्रभार के अधीन है)";

(ख) मद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"ग प्राधिकार --------- से लागू है

[क्रम सं. 3 (II)(खक) पर दी गई शर्त देखें]

(4) प्ररुप क-3 में, सारणी में, स्तंभ (4) के स्तंभ शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

" सेवा कर रजिस्ट्रीकरण सं. (लागू नहीं होगी यदि विनिर्दिष्ट सेवा पूर्ण उत्क्रमण प्रभार के अधीन है)";

[फा.सं. बी-ख 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 12/2013-सेवा कर, तारीख 1 जुलाई, 2013 भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. 448 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 15/2013-सेवा कर, तारीख 21 नवंबर, 2013 द्वारा सा.का.नि. सं 744 (अ), तारीख 21 नवंबर, 2013 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।